



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.05.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मंडुवाडीह में वाहन चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-326/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र आनन्द चौहान निवासी म0नं0 B-21/67 रणवीर संस्कृत विद्यालय के सामने कमच्छा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-04.05.2024 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अभिषेक चौहान उपरोक्त को अंतर्गत धारा 379/411 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि (09 माह) व कुल 1000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।